न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर, चूरू
पीठासीन अधिकारी– श्योराम वर्मा

अस्व वाद

न.मु. 28/2017

पेमदास आदि बनाम धनदास आदि

दावा

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (ए) व (डी) सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

व प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित

1. श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. श्री बजरंग सिंह एडवोकेट वास्ते प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 22.03.2022

प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 व 5 ता 13 की और से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 ए व डी सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 16 को प्रतिवादीगण तथा 17 ता 21 को गौण प्रतिवादीगण पक्षकार संयोजित कर न्यायालय में पेश किया। वादीगण ने यह वाद मृत व्यक्ति प्रतिवादी सं0 4 के विरूद्व पेश किया एवं अनुतोष चाहा है। वादीगण को इस वाद बाबत कोई वाद हैतुक प्राप्त नही हुआ है। वादीगण ने मृतक व्यक्ति सुमेरदास ने भी वादगत आराजी पर जबरन कब्जा करने तथा वादगत खेत में पक्का निर्माण करने की दिनांक 27.08.2017 को ऐलानियां धमकी दी है। कानून का यह सर्व मान्य सिद्वांत है कि मृत व्यक्ति के विरूद्व दायर वाद अस्तित्वविहिन या शून्य होता है। यदि कोई कृत्य प्रारम्भ से ही शून्य हो तो उसे आदेश 22 नियम 4 के प्रार्थना पत्र से जीवित नही किया जा सकता। ऐसा वाद गलत अवधारणा पर दायर करने से निरस्त किये जाने योग्य है। सुमेरदास का स्वर्गवास दिनांक 02.08.2015 को ग्राम सारंगसर में हो चुका था। जबकि वादीगण ने यह वाद न्यायालय में दिनांक 05.09.2017 को पेश किया है। वाद वादीगण आवश्यक पक्षकारो के असंयोजन के दोष से ग्रस्ति होने से विधि विरूद्व होने के कारण खारिज फरमाया जावे। जिसका जबाब वादीगण ने प्रस्तुत किया कि जब वादीगण के अधिवक्ता को प्रतिवादी सं0 04 के फौत होने की जानकारी हुई तो वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा दावा हाजा में किसी एक प्रतिवादी को टारगेट नही किया गया है। इस प्रकार के विवाद को पक्षकारों के असंयोजन या विधि विरूद्व नही कहा जा सकता। अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादीगण ना तो पक्षकारो के असंयोजन से ग्रस्ति है तथा ना ही विधि द्वारा वर्जित है। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे।वादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी. पी.सी. के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मुकदमा अनुवान सदर के प्रतिवादी सं0 4 सुमेरदास वल्द लूणदास का दावा दायरी से पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। दावा दायरी के वक्त प्रतिवादी सं0 04 सुमेरदास के फौत होने की जानकारी वादीगण को रही है। लेकिन भूलवश प्रतिवादी सं0 4 सुमेरदास को बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 04 के कायम मुकाम 4/1 से 4/6 को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जावे। प्रार्थना पत्र अवधि भीतर प्रस्तुत है। मृतक के वारिसान को प्रतिवादीगण पक्षकार संयोजित किये जाने से वाद बाहुल्यता पर रोक लगा कर सही और वास्तविक स्थिति प्रकृट हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर संशोधित वाद

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

हैतूक प्रस्तुत किये जाने का आदेश प्रदान करें। इस प्रार्थना पत्र के करीबन 2 वर्ष बाद दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। जिसमें विलम्ब का कोई कारण अंकित नही किया है। सिर्फ यह अंकित किया है कि विलम्ब की सूरत में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना वैधानिक है। वादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जबाब पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दावा वकील द्वारा पेश किया जाता है जो कानूनी की बारिकियों के बारे मे सब कुछ जानते है तथा वकील का यह कर्तव्य है कि वो दावा ड्राफ्ट करते समय अपने मुवक्किल से सभी पक्षकारो के बारे मे पूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही दावा ड्राफ्ट करें। इसलिए वकील से भूल होने की कोई संभावना नही है। तथा वादीगण ने अपने दावा की मद सं0 5 में यह अंकित किया है कि दिनांक 27.08.2017 को हम वादीगण ने प्रतिवादीगण सं0 1 ता 14 से निवेदन किया तो उन्होने ऐलानियां धमकि दी। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. दौराने दावा यदि किसी प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तभी लागू होता है। वादीगण ने दावा न्यायालय में दिनांक 05.09.2017 को पेश किया है जबकि सुमेर दास का स्वर्गवास दिनांक 02.08.2015 को ही हो चुका था। इसलिए वादीगण का प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से अवधि भीतर नही है। सुमेरदास के स्वर्गवास से लगभग 2 वर्ष बाद पेश किया है। वादीगण ने यह दावा मृत व्यक्ति के विरूद्व पेश किया है। जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावें। तथा दफा 5 मियाद अधिनियम का भी जाबाब मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद विद्वान वकील द्वारा तैयार कर वादीगण को अच्छी तरह से पढ सुन व समझाकार उसमें लिखी बातो को अपने निजी ज्ञान से सत्य एवं सही तथा कानूनी तथ्यों को अपने अधिवक्ता द्वारा दी गई राय से सत्य एवं सही होना प्रमाणित कर न्यायालय में पेश किया जाता है। इसिलए सहबन भूल होना किसी भी प्रकार से मानने योग्य नही है। वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं अंकित नही किया है कि प्रार्थना पत्र पेश करने में देरी कैसे हुई तथा नही देरी माफ करने के ठोस एवं युक्तियुक्त कोई कारण अंकित किये है। इसलिए वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने जबाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 ए व डी सपठित धारा 151 सी.पी.सी. व दफा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जावे एवं प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 ए व डी सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावे। अपने समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डिविजन बैंच की रूलिंग पेश की। वकील प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 ए व डी सपठित धारा 151 सी.पी.सी. व जबाब प्रार्थना पत्र 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. व जबाब दफा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण का वाद मृत व्यक्ति के विरूद्व पेश किया गया है तथा यह कहकर कि उसने वादगत आराजी पर जहां चाहेगें वहा जबरन कब्जा करेगें तथा वादगत खेतो में पक्का निर्माण करेगें। इसलिए दावा खारिज अबैट किया जावें तथा वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 का अस्वीकार कर वाद खारिज किया जावे। तथा अपने समर्थन में आर.आर.डी 2016 पेज 565 व आर.आर.टी. 2010 (2) सुप्रीम कोर्ट डी.बी के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनने के बाद पत्रावली की गहनता से अवलोकन किया गया। वादीगण ने यह दावा न्यायालय में 05.09.2017 को पेश किया है। जबकि प्रतिवादी सं0 4 का स्वर्गवास दिनांक 02.08.2015 को होना प्रतिवादीगण के

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

वकील ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. में तथा जबाब प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 व दफा 5 मियाद अधिनियम के जबाब में अंकित किया है। जिसका कहीं भी वकील वादीगण ने खण्डन नही किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दावा दायरी से पूर्व तथा वाद हैतुक को दिनांक जो दावा की मद सं0 06 में अंकित 27.08.2017 से काफी पूर्व प्रतिवादी सं0 4 का स्वर्गवास हो चुका था। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में यह है कि जहां वादी को दावा दायरी के समय प्रतिवादी की मृत्यू का ज्ञान ना हो एवं समन लोटने का ज्ञान होने पर आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश होने पर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जा सकता है। जबकि इस दावा में वादीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. की मद सं0 02 में स्पष्ट अंकित है कि दावा दायरी के वक्त प्रतिवादी सं0 4 सुमेरदास के फौत होने की जानकारी वादीगण को रही है। इसलिए यह न्यायिक दृष्तांत इस दावा के तथ्यों से भिन्न होने के कारण पूर्णतया चस्पा नही होता है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर. डी. 2016 पेज 565 जगदीश बनाम नत्थूसिंह में यह प्रतिपादित किया गया कि उसने वादग्रस्त आराजी को बेचने की धमकी दी अतः दावा खारिज अवैट किया जावे तथा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. अस्वीकार कर वाद खारिज किया गया। इसी न्यायिक दृष्टांत में 2012(1) आर.आर.टी. 189 डी.बी. माननीय बोर्ड द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि मृत व्यक्ति के विरूद्व वाद पेश किया है वो नलटी है तथा इसी न्यायिक दृष्टांत में 2010 (2) आर.आर.टी. 1458 बलवन्त सिंह बनाम जगदीश सिंह माननीय सर्वोच्च न्यायालय डी.बी. सम्बन्ध में विश्लेषण कर मृत व्यक्ति के विरूद्व दायर वाद को खारिज किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृत व्यक्ति के विरूद्व दायर वाद शून्य है यदि कोई कृत्य प्रारम्भ से ही शून्य है तो उसे आदेश 22 नियम 4 के प्रार्थना पत्र से जीवित नही किया जा सकता ऐसा वाद गलत अवधारणा से दायर किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सी. पी.सी. व आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 19.04.2021 को भी वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया है। क्योंकि उनका भी कोई औचित्य नही है क्योंकि जब प्रतिवादीगण ने दावा को मृत व्यक्ति के विरूद्व पेश किया हुआ होने के कारण खारिज फरमाया जावे। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. व प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सी.पी.सी. खारिज किये जाने योग्य होने के कारण खारिज किये जाते है। तथा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 ए व डी सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद मृत व्यक्ति के विरूद्व पेश किया गया होने के कारण वाद प्रारम्भ से ही शून्य होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्योराम वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner